दिनांक 21 मई 2026 को जिला पदाधिकारी, शेखपुरा की अध्यक्षता में जिला पदाधिकारी के कार्यालय वेश्म में जिला स्तरीय Family Planning Indemnity Sub-Committee (FPIS) की बैठक का आयोजन किया गया।

उक्त बैठक में सिविल सर्जन, शेखपुरा, अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, शेखपुरा जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला स्वास्थ्य समिति, शेखपुरा एक–एक Empanelled Surgeon एवं Gynaecologist द्वारा भाग लिया गया।

उपस्थितिः यथापंजी।

सर्वप्रथम श्री शेखर आनंद, जिला पदाधिकारी, शेखपुरा द्वारा बैठक में उपस्थित सभी पदाधिकारियों/कर्मियों का अभिवादन किया गया तथा बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की गई। Family Planning Indemnity Scheme (FPIS) के तहत परिवार कल्याण सेवाओं के विरूद्ध दावाकर्ता लाभार्थियों के दावे पर विचार :–

इस हेतु गठित जॉच समिति के जॉच प्रतिवेदन के आधार पर सामुदयिक स्वास्थ्य केन्द्र, अरियरी एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र–सह–रेफरल अस्पताल, बरबीघा में महिला बंध्याकरण के पश्चात हुए मृत्यु के उपरांत दिये जाने वाले क्षतिपूर्ति राशि का दावा एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द, शेखपुरा अंतर्गत महिला बंध्याकरण Failure होने के कारण क्षतिपूर्ति राशि का प्राप्त दावा प्रस्तुत किया गया। उपरोक्त सभी अभिलेख संचिका में संलग्न हैं। Family Planning Indemnity Scheme (FPIS) अंतर्गत बंध्याकरण पश्चात मृत्यु होने की स्थिति में उल्लेखित 4 लाख की क्षतिपूर्ति राशि दिया जाना है। इसी योजना अंतर्गत बंध्याकरण असफल होने की स्थिति में उल्लेखित 60,000 की क्षतिपूर्ति राशि दिये जाने का प्रावधान है। सभी अभिलेखों के अवलोकन एवं सम्यक विचोरोपरांत निम्नलिखित प्रस्ताव पारित किया गया।

प्रस्ताव संख्या–01

जिला के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, अरियरी में श्रीमती शोभा देवी, पति–संजय महतो, ग्राम+पो०– वृन्दावन, हजरतपुर मडरो, चॉदी, प्रखंड– अरियरी, जिला– शेखपुरा की मृत्यु दिनांक– 15.02.2025 को महिला बंध्याकरण उपरांत हो गयी थी। सभी दस्तावेजों व प्रतिवेदन की समीक्षा के उपरांत निर्णय लिया गया कि बंध्याकरण की तिथि दिनांक–12.02.2025 तथा मृतका शोभा देवी के मृत्यु कि तिथि दिनांक 15.02.2025 के मध्य death followed by sterlisation को उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर प्रमाणित नहीं किया जा सकता है।

अतः उक्त के आलोक में श्रीमती शोभा देवी, पति–संजय महतो, ग्राम+पो०– वृन्दावन, हजरतपुर मडरो, चॉदी, प्रखंड– अरियरी, जिला– शेखपुरा के विधिक उत्तराधिकारी को Family Planning Indemnity Scheme के तहत क्षतिपूर्ति राशि के भुगतान करने की अनुशंसा नहीं की जा सकती है।

प्रस्ताव संख्या–02

जिला के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र–सह–रेफरल अस्पताल में श्रीमती क्रांति देवी, पति–भोला पासवान, ग्राम– कोयरी विघा, थाना– बरबीघा, जिला – शेखपुरा की मृत्यु दिनांक– 02.04.2025 को महिला बंध्याकरण उपरांत हो गयी थी। सभी दस्तावेजों सहित अन्त्यपरीक्षण

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

प्रतिवेदन की समीक्षा के आधार पर Family Planning Indemnity Sub-Committee द्वारा पीड़ित परिवार को Family Planning Indemnity Scheme अंतर्गत निहित प्रावधानों के तहत चार लाख रू० मात्र की क्षतिपूर्ति राशि भुगतान करने की अनुशंसा की गई।

प्रस्ताव संख्या–03

जिला के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, शेखपुरा में खुशबु देवी, पति– पवन कुमार, ग्राम– रामपुर, मननपुर, जिला– लखीसराय का बंध्याकरण असफल होने की सूचना 08.10.2025 को प्राप्त हुई। सभी दस्तावेजों व प्रतिवेदन की समीक्षा के आधार पर Family Planning Inmdemnity Sub-Committee द्वारा पीड़ित परिवार को Family Planning Indemnity Scheme अंतर्गत निहित प्रावधानों के अनुरूप साठ हजार रू० मात्र की राशि दिये जाने की अनुशंसा की गई।

उपरोक्त सभी प्रस्तावों पर चर्चा के उपरांत निर्णय लिया गया कि Family Planning Indemnity Sub-Committee के बैठक की कार्यवाही के साथ सभी आवश्यक दस्तावेजों को राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी, परिवार कल्याण कार्यक्रम, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना को अग्रेतर कार्रवाई हेतु शीघ्र उपलब्ध कराया जाय।

अन्त में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

22/5/26

सिविल सर्जन
शेखुरा।

24/5/26

जिला पदाधिकारी
शेखपुरा।

ज्ञापांक...168....　　　　　　　　दिनांक.23./05/2026

प्रतिलिपि : राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी, परिवार कल्याण कार्यक्रम, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना को सूचनार्थ।

प्रतिलिपि : जिला पदाधिकारी–सह–अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति, शेखपुरा को सादर सूचनार्थ।

प्रतिलिपि : कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार पटना को सादर सूचनार्थ

जिला पदाधिकारी
शेखपुरा।

Scanned with CamScanner
Scanned with CamScanner